

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-03/योजना-14/2001 पार्ट 5522 /पटना, दिनांक 30/10/2013

आदेश

ओवर लोडेड एवं अनियमित वाहनों विशेषकर ओवर लोडेड मालवाहकों के परिवहन चेकपोस्ट, महात्मागाँधी टॉल प्लाजा, हाजीपुर (वैशाली) पर जाँच/ रोकथाम हेतु पदाधिकारियों के रोस्टरवार प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्यालय आदेश सं0- 5250 दिनांक 18.10.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद को दिनांक-30.10.2013, (बुधवार) को रात्रि पाली में श्री अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पटना जो सम्प्रति अवकाश में है; के स्थान पर एवं श्री अजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को दिनांक 31.10.2013 (वृहस्पतिवार) को रात्रि पाली में श्री अनुप कुमार सिंह मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद के स्थान पर कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्ति किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
3. उक्त आदेश की शेष बातें यथावत रहेंगी ।

अनुप 30/10/13
प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5522

दिनांक, पटना- 30/10/2013

- प्रतिलिपि:-
1. जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/वैशाली/जहानाबाद एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. श्री अनुप कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, जहानाबाद/श्री अमिताभ कुमार, मोटरयान निरीक्षक, पटना एवं श्री अजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 4. प्रधान सचिव के आप्त सचिव /प्रशाखा-5 को सूचनार्थ प्रेषित।
 5. आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Web Site पर Up load करने हेतु प्रेषित।

अनुप 30/10/13
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।